न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा जिला झालावाड (राज)
पीठासीन अधिकारी:- दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 05/2025 दायर दिनांक: 07.01.2025

उनवान

1. गंगाराम पि. पूरीलाल जाति दांगी नि. मायाखेडी तहसील पिडावा

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील पिडावा

अप्रार्थी

दावा अन्तर्गत धारा 131, 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :-
प्रार्थी :- विद्वान अभिभाषक श्री प्रेमचन्द चौधरी
अप्रार्थी :- पेरोकार सरकार

निर्णय दिनाक : 21.07.2025

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि यह कि ग्राम मायाखेडी पटवार हल्का मायाखेडी भू.अभि.नि.क्षे. पिडावा तहसील पिडावा जिला झालावाड राज. मे स्थित आराजी खाता संख्या नया 51 पुराना– 41 खसरा नम्बर 889/233 रकबा 0.0632 हैक्टेयर (चाही प्रथम), खसरा नम्बर– 890/585 रकबा 0.1265 हैक्टेयर (चाही अलीफ), खसरा नम्बर–891/696 रकबा 0.9738 हैक्टेयर (चाही गे. मु. रास्ता/माल अलीफ), खसरा नम्बर– 892/439 रकबा 0.2656 हैक्टेयर (बीड प्रथम) कुल किता 4 कुल रकबा 1.4291 हैक्टेयर आराजी प्रार्थी के कब्जे काश्त खातेदारी में स्थित है। नकल जमाबन्दी. नक्शा ट्रेस संवत् 2073–2076 संलग्न है। यह कि प्रार्थना पत्र के पैरा नम्बर 01 में वर्णित आराजी के प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजीयात के नाम सुविधा की दृष्टि से सम्बोधित किया गया है। यह कि वाद ग्रस्त आराजी का आराजीयात मौके कब्जे काश्त के अनुसार नक्शा तरमीम नहीं किया जाकर राजस्व कर्मचारीयों द्वारा सहवन से कम्प्युटर प्रक्रिया द्वारा प्रार्थी की आराजी दर्शित की जो गलत है। राजस्व रिकॉर्ड में नक्शा जांच के नक्शे में गलत तरमीम कर दिये जाने से की गई अशुद्धी को प्रार्थी शुद्धीकरण करवाने की पात्रता रखता है कि गई अशुद्धी की मौके के अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.31 18:02:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्ताव प्राप्त कर नक्शे मे शुद्धीकरण किया जाना न्यायसंगत है। यह कि प्रार्थी की कुल 04 किता आराजी मे से 02 किता आराजी का सही अंकन किया गया एवं 02 किता आराजी का खसरा नम्बर– 891/696 एवं 892/439 का गलत तरमीम किया गया है कोशुद्धी किया जाना आवश्यक हो चुका है। खसरा नम्बर– 891/696 का नक्शे में लाईन पूर्व से पश्चिम किया गया है जो गलत है। जबकि सही स्थिति में उत्तर से दक्षिण लाईन कर खसरा नम्बर– 891/696 की पश्चिम में तरमीम किया जाना है जो वस्तु स्थिति कब्जे काश्त के सही है। यह कि खसरा नम्बर– 892/439 जिस प्रकार नक्शे में कम्प्युटर ऑन लाईन किया गलत दर्ज कर दिया गया है। उक्त खसरा नम्बर की लाईन उत्तर से दक्षिण जो गलत तरमीम की गई है सही वस्तु स्थिति में पूर्व से पश्चिम किया जाना आवश्यक हो चुका है। यह कि प्रार्थना पत्र के पैरा नम्बर 4 व 5 में वर्णित आराजी का मौके कब्जे काश्त के अनुसार वस्तुस्थिति की रिपोर्ट प्राप्त कर शुद्धीकरण किया जाना न्यायहित में सुसंगत हो चुका है। चूंकि उक्त अशुद्धी राजस्व कर्मचारीयों द्वारा राजस्व रेकार्ड में सेग्रिकेशन के दौरान राजस्व कर्मचारीयों की भूल की वजह से या हुई है जो न्यायहित में दुरुस्ती होने योग्य है। यह कि प्रार्थी ने हल्का पटवारी कानूनगो से उक्त सम्बन्ध में दुरूस्ती के लिए कहा तो उन्होने माननीय न्यायालय में शुद्धीकरण किये जाने की सलाह दी इस कारण यह प्रार्थना पत्र सादर पेश किया गया है। यह कि प्रार्थना पत्र उचित न्याय शुल्क पर अन्दर अवधि माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एव श्रवणाधिकार का होने से प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम मायाखेडी पटवार हल्का मायाखेडी भू.अभि.नि.क्षे. पिडावा तहसील पिडावा जिला झालावाड राज. मे स्थित आराजी खाता संख्या नया 51 पुराना 41 खसरा नम्बर–889/233 रकबा 0.0632 हैक्टेयर, खसरा नम्बर– 890/585 रकबा 0.1265 हैक्टेयर, खसरा नम्बर– 891/696 रकबा 0.9738 हैक्टेयर, खसरा नम्बर–892/439 रकबा 0.2656 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.4291 हैक्टेयर आराजी में अशुद्धीकरण तर्मिम खसरा नम्बर– 891/696 एवम 892/439 का वर्तमान कम्प्युटर में हो रही अशुद्धी का सही अंकन मौके की वस्तुस्थिति के मुताबिक हल्का पटवारी रिपोर्ट के सही अंकन किया जावे के आदेश तहसीलदार पिडावा प.ह. मायाखेडी भू.अभि.नि.क्षै. पिडावा को प्रदान

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.31 18:02:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिडावा जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

करने की कृपा करे एवं अन्य न्यायोचित सहित बनजदीकी प्रार्थी के पक्ष में दी प्रदान की जावे।

(5)

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी पैराकार सरकार द्वारा उपस्थित होकर पत्रांक 180 दिनांक 17.02.2025 से जवाब पेश कर निवेदन किया कि यह कि प्रार्थना पत्र चरण कमांक 1 में वर्णित आराजी राजस्व रेकार्ड के मुताबिक सही होने से स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र के चरण कमांक 2 में वर्णित तथ्य वादग्रस्त आराजीयात से सम्बधित है। ऑनलाईन तरमीम के अनुसार ख०न० 891/696 की उत्तर दिशा ख० न० 696 स्थित है। जो कि इन्द्राबाई पत्नी गोकुल हि० 1/4 कैलाशचन्द पुत्र गोकुल हि० 1/4 दिनेश पुत्र गोकुल हि० 1/4 बजेराम पुत्र गोकुल हि० 1/4 के नाम जमाबन्दी खाता दर्ज दर्ज है। है। जबकि मौका स्थिति के अनुसार उक्त ख० न० 696 के काश्तकारो का कब्जा गंगाराम पुत्र पुरीलाल के खेत में उत्तर दिशा में न होकर पश्चिम दिशा में है। अर्थात मौका स्थिति अनुसार ख० न० 891696 के पूर्व में ख० न० 697 पश्चिम में ख० न० 696 उत्तर में ख0न0 694 तथा दक्षिण दिशा में ख० न० 701 स्थित हैं।. यह कि प्रार्थना पत्र के चरण कमांक 3 में वर्णित तथ्य विवरण सही होने से स्वीकार है। इसी प्रकार वर्तमान आनलाईन तरमीम अनुसार ख0न0 892/439 रकबा 0.2656 है० की पुर्व दिशा में ख0न0 439 रकबा 0.2529 स्थित हे। जो उपरोक्त ख०न० 696 में काश्तकारो के नाम ही खाते दर्ज है। तथा ख०न० 892/439 की पश्चिम दिशा में आनलाईन तरमीम अनुसार 404 गे मु० रास्ता दर्शाया हुआ जबकि मौका स्थिति अनुसार ख0न0 892/439 को पूर्व दिशा में ख० न0 440 पश्चिम दिशा में ख0न0 404 उत्तर दिशा में ख० न० 442 तथा दक्षिण दिशा में ख0न0 439 के काश्तकारो का कब्जा है। यह कि प्रार्थना पत्र के चरण कमांक 4 में वर्णित तथ्य सही होने से स्वीकार हें नामा० स० 147 दिनांक 05.01.1989 के द्वारा ख0न0 439 [illegible] कमश 892/439 व 891/696 दर्ज हुये [illegible] समय सहवन से कब्जानुसार दर्ज होकर व[illegible] दर्ज हो गयी जबकि मौका स्थिति पर प्रार्थी का कब्जा निम्न प्रकार है। यह कि प्रार्थना पत्र के चरण कमांक में वर्णित तथ्य मौके की रिर्पोड पटवार मण्डल

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.31 18:02:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

के रिपोर्ट के सही होने से स्वीकार है। मायाखेड़ी की जॉच रिपोर्ट के के सही होने से स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र के चरण कमांक 6 में वर्णित तथ्य मौका की रिपोर्ट अनुसार स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र के चरण कमांक 7 कानूनी है। यह कि प्रार्थना पत्र के चरण कमांक 8 कानूनी है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में चाहा गया अनुतोष स्वीकार करने योग्य है। पटवार मण्डल मायाखेड़ी जॉच रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में ग्राम मायाखेड़ी की आराजी ख० न० 891/696 रकबा 0.9736 हैक्ट० एवं ख० न० 892/439 रकबा 0.2656 हैक्ट० प्रार्थी गंगाराम पिता पुरालाल जाति दांगी निवासी मायाखेड़ी के नाम जमाबन्दी दर्ज है। आनलाईन तरमीम के अनुसार ख० न० 891/696 की उत्तर दिशा में ख० न० 696 स्थित है। जबकि मौके के अनुसार प्रार्थी का कब्जा ख० न० मौका की रिपोर्ट अनुसार स्थित होने से पुनः तरमीम कर शुद्ध किया जाना उचित हैं इस प्रकार ऑन लाईन तरमीम अनुसार ख० न० 892/439 रकबा 0.2656 स्थित है। जबकि मौके के अनुसार प्रार्थी का कब्जा ख० न० मौका रिर्पोट के अनुसार स्थित होने से तरमीम शुद्ध किया जाना उचित हैं। अत–ख० न० 439 व 696 में विभाजन होकर कमश 892/439 व 891/696 दर्जी हुये परन्तु ऑन लाईन तरमीम सहवन से कब्जानुसार दर्ज न होकर वर्तमान ऑनलाईन नक्शानुसार गलत दर्ज हो गयी जबकि मौका स्थिति पर प्रार्थी का कब्जा मौका रिर्पोट के अनुसार होने से रेकार्ड शुद्धीकरण योग्य है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

3. अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में ग्राम मायाखेडी का खाता सं. 51 की जमावंदी सं. 2073–76, लट्ठा नक्शा ट्रेस दिनांक 27.12.2024, आन लाईन खसरा नक्शा दिनांक 01.01.2025, ग्राम मायाखेडी का नक्शा किश्तवार 2 किता नकल दिनांक 18.03.2025, ग्राम मायाखेडी का नामा.सं. 147 दिनांक 05.01.1983, खाता सं. 77 जमावंदी सं. 2036–39, खाता सं. 885 जमावंदी सं. 2041–44, खाता सं. 84 जमावंदी सं. 2045–48, खाता सं. 22 जमावंदी सं. 2049–52, खाता सं. 104 जमावंदी सं. 2057–60, खाता सं. 36 जमावंदी सं. 2061–64 की नकलें पेश की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.31 18:02:42 IST
Reason: SelfAttested

4. अभिभाषक प्रार्थी व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

(7)

कथन किया कि ग्राम मायाखेडी तहसील पिडावा की जमाबंदी संवत 2036-39 के अनुसार वादग्रस्त आराजी खसरा न0 233 रकबा 10 बिस्वा, खसरा न0 439 रकबा 2-01 बीघा, खसरा न0 585 रकबा 1-01 बीघा व खसरा न0 696 रकबा 7-14 बीघा कुल किता 4 कुल रकबा 11-06 बीघा भूमि पुरालाल, गोकुल पिसरान बाला जाति दांगी हिस्सा 1/2-1/2 में दर्ज रिकार्ड थी। दोनो सहखातेदार भाईयो ने वादग्रस्त आराजी के सहमती खाते विभाजन हेतु कैम्प स्थल मायाखेडी में श्रीमान उपजिला कलक्टर महोदय के समक्ष प्रार्थनापत्र पेश किया था जिसके आधार पर दिनांक 05.01.1983 को दोनो भाईयो के मध्य खाता विभाजन हुआ था जिसका नामान्तरण संख्या 147 दिनांक 05.01.1983 से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया गया। बटवारे के बाद भूमि खसरा न. 233/2 रकबा 5 बिस्वा, 439/2 रकबा 1-01 बीघा, 585/2 रकबा 10 बिस्वा व 696/2 रकबा 3-17 बीघ कुल किता 4 कुल रकबा 5-13 बीघा पुरीलाल पिता बाला के खाते पृथक से दर्ज हुई थी जबकि खसरा न. 233/1 रकबा 5 बिस्वा, 439/1 रकबा 1 बीघा, 585/1 रकबा 11 बिस्वा व 696/1 रकबा 3-17 बीघ कुल किता 4 कुल रकबा 5-13 बीघा पुरीलाल पिता बाला के खाते पृथक से दर्ज हुई थी। इसी बंटवारे के अनुसार दोनो भाई वर्षो से कब्जे काश्त चले आ रहे है लेकिन राजस्व कार्मिको के द्वारा लटठा नक्शा में मूल ख.नपं. 696 व 439 में उक्त बंटवारा आदेश की पालना में तरमीम नहीं की गई थी और 2018 में तहसील को आनलाईन करते समय सेग्रिगेशन के दौरान बिना रिकार्ड व मौके की जांच किये गलत तरमीम कर प्रार्थी के हिस्से की भूमि ख.नं. 891/696 की तरमीम पूर्व दिशा की बजाय उत्तर दिशा में कर दी गई जबकि ख.नं. 892/439 की तरमीम दक्षिण दिशा के बजाय पश्चिम दिशा में कर दी गई। अतः राजस्व कार्मिको द्वारा सेग्रिग्रेशन के दौरान मौके व रिकार्ड की जाचं किये बिना की गई तरमीम को दुरूस्त किया जावे।

5. पैरोकार सरकार द्वारा उपस्थित होकर अपने ... में जवाब के बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया ... पुरालाल व गोकुल दोनो फोत हो चुके है। वर्तमान में ग्राम मायाखेडी की आराजी ख० न० 891/696 रकबा 0.9736 हैक्य० एवं ख० न० 892/439 रकबा 0.2656 हैक्य० प्रार्थी गंगाराम पिता पुरालाल जाति दांगी निवासी मायाखेडी के नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.31 18:02:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिडावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

तथा ख.नं. 439 रकबा 0.2529 है. एवं ख.नं. 696 रकबा 0.9738 है. गोकुल के वारीसान के खाते पृथक से दर्ज रिकार्ड है। आनलाईन नक्शा के अनुसार ख० नं० 891/696 की तरमीम उत्तर दिशा में व ख० नं० 696 की तरमीम दक्षिण दिशा में है जबकि मौके के अनुसार प्रार्थी का कब्जा पश्चिम दिशा में व गोकुल के वारीसान का कब्जा पूर्व दिशा में है। इसलिए रिपोर्ट अनुसार स्थित होने से पुनः तरमीम कर शुद्ध किया जाना उचित हैं। आगे कथन किया कि ऑन लाईन नक्शा अनुसार ख० नं० 892/439 रकबा 0.2656 पूर्व दिशा में जबकि ख.नं. 439 पश्चिम दिशा में स्थित है लेकिन मौके के अनुसार प्रार्थी का कब्जा ख० नं० 892/439 उत्तर दिशा में स्थित है। अतः मौका रिर्पोट के अनुसार स्थित होने से तरमीम शुद्ध किया जाना उचित हैं। पुनः तर्क किया कि ऑन लाईन तरमीम सहवन से कब्जानुसार दर्ज न होकर वर्तमान ऑनलाईन नक्शानुसार गलत दर्ज हो गयी जबकि मौका स्थिति पर प्रार्थी का कब्जा मौका रिर्पोट के अनुसार होने से रेकार्ड शुद्धीकरण योग्य है।

6. अभिभाषक प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम मायाखेडी की वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी सं. 2036–39 के अनुसार वादग्रस्त आराजी खसरा न0 233 रकबा 10 बिस्वा, खसरा न0 439 रकबा 2–01 बीधा, खसरा न0 585 रकबा 1–01 बीधा व खसरा न0 696 रकबा 7–14 बीधा कुल किता 4 कुल रकबा 11–06 बीधा भूमि पुरालाल, गोकुल पिसरान बाला जाति दांगी हिस्सा 1/2–1/2 में दर्ज रिकार्ड थी। प्रार्थी द्वारा पेश ग्राम मायाखेडी नामा.सं. 147 दिनांक 05.01.1983 के अवलोकन से जाहिर है कि उपजिला कलक्टर महोदय के केम्प ओडियाखेडी में दोनो भाईयो के मध्य खाता विभाजन हेतु दिये गये आदेशानुसार दोनो के मध्य सहमति से खाता विभाजन हुआ जिसमें भूमि खसरा न. 233/2 रकबा 5 बिस्वा , 439/2 रकबा 1–01 बीधा , 585/2 रकबा 10 बिस्वा व 696/2 रकबा 3–17 बीध कुल किता 4 कुल रकबा 5–13 बीधा पुरीलाल पिता बाला के खाते [illegible] दर्ज हुई थी जबकि खसरा न. 233/1 रकबा 5 बिस्वा, 439/1 [illegible] बीधा, 585/1 रकबा 11 बिस्वा व 696/1 रकबा [illegible] कुल किता 4 कुल रकबा 5–13 बीधा पुरीलाल पिता बाला के खाते पृथक से दर्ज हुई थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.31 18:02:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

गया है जो गलत है। जबकि ...

7. नामान्तरण पंजिका पर दर्ज बंटवारा प्रस्ताव में दोनो सहखातेदारो के हिस्से पृथक से दर्ज होने वाले चारो खसरो में दिशाओ का अंकन नहीं किया गया है। प्रार्थी द्वारा पेश वादग्रस्त आराजी मूल ख.नं. 439 व 696 के लटठा नक्शा की प्रतिलिपी के अवलोकन से जाहिर है कि राजस्व कार्मिको द्वारा जमाबंदी मे तो पृथक पृथक खाते दर्ज कर दिये गये लेकिन लटठा नक्शा में तरमीम नहीं की गई थी। प्रार्थी द्वारा पेश वर्तमान आनलाईन नक्शा के अवलोकन से जाहिर है कि मूल ख.नं. 439 में से प्रार्थी का हिस्सा ख.नं. 892/439 पूर्व दिशा में जबकि सहखातेदार भाई गोकुल का हिस्सा ख.नं. 439 पश्चिम दिशा में तरमीम की गई है। इसी प्रकार मूल ख.नं. 696 में से प्रार्थी का हिस्सा ख.नं. 891/696 को दक्षिण दिशा में जबकि सहखातेदार भाई गोकुल का हिस्सा ख.नं. 696 उत्तर दिशा में तरमीम की गई है। पेरोकार सरकार तहसीलदार पिडावा की रिपोर्ट के अनुसार दोनो सहखातेदार भाई खाता विभाजन के समय से ही मौका रिपोर्ट अनुसार कब्जे काश्त चले आ रहे है। मौके पर प्रार्थी भूमि ख.नं. 891/696 पश्चिम दिशा में व ख.नं. 892/439 पर उत्तर दिशा में कब्जे काश्त है। पेराकार सरकार ने नक्शा दुरूस्ती किये जाने की अनुशंषा की है।

8. राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128, 131, व 136 के अनुसार भू–सर्वे एवं रिकार्ड ऑपेरेशन की कार्यवाही समाप्त होने के बाद नक्शे एवं फिल्ड बुक में किसी गांव या गांव के हिस्से की सीमाओं, ऐस्टेट या फिल्ड/खसरे की सीमाओं में ज्ञात होने वाली किसी त्रृटि को या राजस्व रिकार्ड के निरीक्षण के दौरान ज्ञात किसी भी प्रकार की त्रृटि को लेण्ड रिकार्ड ऑफिसर द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत दुरूस्त किया जाता सकता है और ऐसे प्रत्येक परिवर्तन का इन्द्राज वार्षिक रजिस्टर में किया जावेगा। राजस्व रिकार्ड में भू प्रबन्धन एवं सर्वे की कार्यवाही के दौरान, सेग्रीगेशन के दौरान, नामा0 तस्दीक करते समय, फर्द–बदर/चौसाला तैयार करते समय राजस्व कार्मिकों द्वारा मूल प्रविष्टि में की गई लिपिकीय त्रुटि या रेकार्ड के निरीक्षण के दौरान भू अभिलेख अधिकारी को ज्ञात त्रुटि को धारा 136 एलआरएक्ट के अधीन भू अभिलेख अधिकारी द्वारा दुरूस्त किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में ग्राम मायाखेडी के बंटवारा नामा.सं. 147 दिनांक 05.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.31 18:02:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

01.1983 की राजस्व नक्शे/लट्ठा नक्शा में तरमीम नहीं करने और रीसैटलमेंट के दौरान वर्ष 2018–19 में बिना मौके की स्थिति की जांच किये तरमीम में लिपीकीय/टाईपिंग त्रुटीवश को दुरूस्त करने के लिए उभयपक्षकार सहमत है। अतः धारा 131 एलआरएक्ट के अधीन मूल प्रविष्टि मे हुई खसरा नं. के अंकन की त्रुटी को दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। सुविधा के लिए यहां धारा 131 एलआरएक्ट के प्रावधान निम्नानुसार है :–

131. Maintenance of Map and Field Book – After the survey and record operations are over, the map and the field book shall be maintained by the Land Records Officer, in accordance with the rules made by the State Government in that behalf and he shall cause, annually or at such longer intervals as the State Government may prescribe, to be recorded therein all changes in the boundaries of each village or portion of a village, estate or field and shall correct any errors which are shown to have been made in such map or field book.

धारा 136 एलआरएक्ट के प्रावधान निम्नानुसार है :–

<u>136. Correction of errors</u> – The land Records Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register: Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.31 18:02:42 IST
Reason: SelfAttested

9. उपरोक्त विवेचन व विष्लेषण एवं तहसीलदार [illegible] की मौका रिपोर्ट मय अनुशंषा के आधार पर ग्राम मायाखेडी की वादग्रस्त आराजी ख. नं. 892/439 व 439 एवं ख.नं. 891/696 व 696 की राजस्व नक्शे में

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

तरमीम दुरूस्ती का प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 136 एल. आर.एक्ट न्यायहित मे स्वीकार किये जाने योग्य है।

11

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण एवं तहसीलदार पिडावा की मौका रिपोर्ट मय अनुशंषा के आधार पर ग्राम मायाखेडी की वादग्रस्त आराजी ख. नं. 892/439 व 439 एवं ख.नं. 891/696 व 696 की राजस्व नक्शे में तरमीम दुरूस्ती का प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 136 एल. आर.एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार पिडावा को आदेश दिये जाते है कि खातेदारान की उपस्थिति में मौके की जांच कर मौके पर कब्जेकाश्त अनुसार तरमीम दुरूस्ती करें और तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

यह निर्णय आज दिनांक 21.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/7/25

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड़ राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.31 18:02:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner